225

न्यायालय राजस्व मण्डल , मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0सिंह

सदस्य

पूर्नविलोकन प्रकरण कमाक 2533–II–2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2016 पारित द्धारा राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण कमाक 2648–दो–2014 निगरानी ।

रामसिंह पुत्र श्री बारेलाल जाति लोधी
निवासी ग्राम मूडरा बहादरा तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर म.प्र.।

.........आवेदिका

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

..........अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिह जादौन)

(अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री बी.एन. त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक २८-१ –2016 को पारित)

यह पूर्नविलोकन आवेदक द्धारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क 2648/दो/2014 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केंवल संहिता कहा जायेगा) के अतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक का ग्राम मूडरा वहादा स्थिति भूमि सर्वे कमाक 92/3 मिन रकवा 1.045 हेक्टर भूमि पर करीब 40 वर्ष से भी अधिक वर्षो से कव्जा

होने के आधार पर व्यवस्थापन कराये जाने बावत आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कमाक 85/89–90/अ–19 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 04–05–1990 से म0प्र0 कृर्षि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही रखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपवन्ध अधिनियम 1984 कें अन्तर्गत व्यवस्थापन किया गया । अपर कलेक्टर , जिला अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय वाद उक्त व्यवस्थापन किये गये आदेश को स्वयमेव निगरानी मे लेते हुये प्रकरण कमाक 436/97–98 स्व निगरानी पर दर्ज करते हुये वगैर सुनवाई व सूचना पत्र दिये ,सुनवाई का मोका दिये वगैर,आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.98 से विचाराण न्यायालय द्वारा किया गया भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 04.05.90 निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर अशोकनगर के स्व निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 24.9.98 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी 698/2009–2010 प्रस्तुत की गई जो आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2012 से निरस्त की गई जिस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण कमाक 2648/दो/2014 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 6.7.2016 से निरस्त कर दी गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक द्वारा इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर पूर्वजो के समय से निरस्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है तहसीलदार द्वारा विधिवत एंव नियमानुसार जांच करने के उंपरात किसी की कोई आपत्ति न आने पर म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जारही रखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपंबन्ध अधिनियम 1984 कें अंतर्गत व्यवस्थापन किया गया है जो व्यवस्थापन वर्ष 1990 मे किया गया है कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय वाद वगैर आवेदक को सुने व सुनवाई का मोका दिये सूचना पत्र जारी किये व्यवस्थापन प्रकरण क 85/ए/89–90 मे पारित आदेश दिनांक 4.5.1990 को लगभग 8 वर्ष वाद स्व.निगरानी में लेते हुये व्यवस्थापन आदेश को लिया है। जो कतई उचित एंव न्याय संगत नही है।

माननीय वरिष्ठ उच्चतम एंव उच्च न्यायालय के कई न्याय सिंद्धात है कि स्वनिगरानी मे प्रकरण को सिर्फ 180 दिन के भीतर लेना चाहिए उक्त समय सीमा के भीतर लेना चाहिए काफी लम्बे समय के वाद प्रकरण को स्व. निगरानी मे नही लेना चाहिए । उक्त अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय 8 वर्ष के अंतराल के वाद प्रकरण को स्व. निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो कतई उचित एंव न्याय संगत न होने से निरस्त योग्य है एंव पुर्नविलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह वताया गया कि अधिनस्थ न्यायालयों एंव इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत एंव सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्के एंव उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया दस्तावेजो के अवलोकन से स्पस्ट है कि आवेदक को उक्त भूमि का व्यवस्थापन तहसील न्यायालय के प्रकरण क 85/ए/19/89–90 मे पारित आदेश दिनांक 4.5.1990 से किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी समय के वाद स्व. निगरानी में लेते हुये प्रकरण क 436/97–98 स्व निगरानी में दर्ज करते हुये अपने आदेश दिनांक 24.9.98 से आवेदक के पक्ष मे व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया गया है जवकि अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्व0 निगरानी मे काफी समय के अंतराल के वाद लिया है निश्चित समय के अन्दर मे नही लिया हैं दूसरे पक्ष को सुने वगैर , उसको सूचना पत्र जारी किये वगैर आदेश पारित किया गया है जो उचित नही है। इस सम्वध में 2009 आर0एन0 161 मान.उच्च न्यायालय , 2000आर0एन0 67 उच्च न्यायालय ,2010 (4) एमपीएलजे 178,1996 आर0एन0 137, ,1969 एससी 1297 ,1990 आर. एन. 77, 1982 आर.एन. 163 के न्याय दृष्टातों मे अभिमत दिया गया है । कि स्व0 निगरानी में कोई प्रकरण लेना है तो निश्चित समय सीमा के भीतर लेना चाहिए काफी अंतराल के वाद नही एवं दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये विना नही करना चाहिए कलेक्टर अशोकनगर द्वारा जो प्रकरण स्व निगरानी मे लिया गया है व कतई उचित एंव

नियमानुकूल नही है। इस वैधानिक तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालयों एंव इस न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है । एंव आवेदक को उक्त निगरानी पेश करने मे हुये विलम्ब को सदभावना पर मानते हुये न्याय हित में क्षमा किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–2016 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–07–2012 एंव अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–9–1998 विधिवत एंव उचित नही होने से निरस्त किये जाते है। तथा तहसीलदार मुंगावली का आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन प्रकरण क 85/89–90/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 04–05–1990 स्थिर रखा जाता हैं ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर